न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 63/2025

अपीलाण्ट

1. मुन्नी पत्नी स्व0 मंगलाराम जाट निवासी ग्राम डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर
2. सुमन पुत्री स्व0 मंगलाराम जाट पत्नी अनाराम जाट, निवासी ग्राम जाटियावास, तह. व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. नत्थाराम पुत्र स्व0 लिखमाराम फौत के का0मु0 –
   1/1 कमला पत्नी स्व0 नत्थाराम
   1/2 सुरेश पुत्र स्व0 नत्थाराम
   1/3 सुनिल पुत्र स्व0 नत्थाराम
   1/4 रेखा पुत्री स्व0 नत्थाराम
2. ग्राम पंचायत डांगियावास, प0स0 मण्डोर, जोधपुर जरिये सरपंच
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) दिनांक 18.02.2025 राजस्व अपील संख्या 36/2021 अनवान नत्थाराम के का0मु0 बनाम मुन्नी वगैरा

उपस्थित–
1. श्री शंकरसिंह जाखड, वकील अपीलांट्स
2. श्री हरिसिंह कच्छवाहा, वकील रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/4
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2 व 3

निर्णय

दिनांक 15-10-25

उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) द्वारा राजस्व अपील संख्या 36/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–अपीलांट द्वारा इस आशय से राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम डांगियावास का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 30.08.1974 सह–खातेदार लिखमाराम का देहान्त हो जाने से उनके पुत्र मंगलाराम व नत्थाराम पिसरान लिखमाराम हिस्सा 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार (अपीलांट एवं रेस्पो0) के नाम सरपंच ग्राम पंचायत डांगिया द्वारा पारित

15/10.

किया गया। इसके पश्चात मंगलाराम पुत्र लिखमाराम का देहान्त हो जाने पर उसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 16.09.1998 मुन्नी बेवा मंगलाराम एवं सुमन पुत्री मंगलाराम नाबालिग जरिये वलिया माता मुन्नी कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया। लिखमाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 256 राजस्व कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत ने जानबूझ कर उनके पुत्र–नत्थाराम एवं मंगलाराम के नाम पारित कर दिया गया, इसमें लिखमाराम की 2 जायंदा पुत्रीयां व इनकी वहनें चुकी एवं सायरी का नाम दर्ज नही कर, उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया गया। रेस्पो0–अपीलांट–नत्थाराम की बहनों द्वारा हाल ही में दिनांक 15.07.2014 को एक पंजीबद्ध हकतर्कनामा निष्पादित करते हुए, अपने हक–हिस्से की पैतृक भूमि उसके पक्ष में तर्क कर दी है। अतः अपील स्वीकार कर पूर्ववर्ती अपीलाधीन जैर दोनों नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए, हकतर्कनामें के आधार पर रेस्पो0–अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में उसके हक–हिस्से अनुसार भूमि दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा स्वीकार कर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 256 को अपास्त करते हुए, पश्चातवर्ती ना0क0सं0 594 को स्व0 लिखमाराम की पुत्रियां–सायरी एवं चुकी के हक–हिस्से तक अपास्त कर, प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को स्व0 लिखमाराम की संपूर्ण भूमि में अपीलांट एवं रेस्पो0 के साथ उनकी पुत्रियां–सायरी तथा चुकी द्वारा किए गये पंजीबद्ध हकतर्कनामें अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 1/1 से 1/4 ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 256 व 594 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि दोनों ना0क0 अलग–अलग होने से प्रथम राजस्व अपील खारिज योग्य थी। अपील मीमों में चुकी देवी एवं सायरी देवी,

जिनका नाम ना0क0सं0 256 में दर्ज नही करने की आपत्ति व्यक्त करते हुए, उनके द्वारा निष्पादित हकतर्कनामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हक व हिस्सा परिवर्तन करने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि प्रथम अपील में उन्हें पक्षकार नही बनाया जाने से अपील चलने योग्य नही थी। प्रथम अपील में खातेदार लिखमाराम का देहान्त वर्ष 1974 में होना तथा ना0क0सं0 256 दिनांक 30.08. 1974 को पारित होना बताया गया है, जबकि चुकी एवं सायरी द्वारा लगभग 40 वर्षो के बाद दिनांक 15.07.2014 को हकतर्कनामा निष्पादित करना बताया गया। कानूनी तौर पर इतनी लंबी अवधि के बाद एक फिसकल प्रोसिडिंग के माध्यम से हक–हिस्सा तय कर दर्ज किया जाना न्याय संगत नही है। वस्तुतः लिखमाराम का देहान्त हो जाने पर जो भूमि पहले मंगलाराम व नत्थाराम में सहमति से बराबर बंटी हुई थी, उसे हड़पने व अपीलांट को परेशान करने के लिए रेस्पो0–नत्थाराम ने अपनी दोनों बहिनों से मिलावट कर तथाकथित हकतर्कनामा को आधार बनाया गया है। दूसरा ना0क0सं0 594 दिनांक 16.09.1998 को मंगलाराम के फौत होने पर नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया है। विधि में ग्रा0पं0 द्वारा पारित ना0क0 के विरूद्ध संबंधित उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार एव नायब तहसीलदार द्वारा पारित ना0क0 के विरूद्ध संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया। अपीलाधीन आदेश में ग्रा0पं0 एवं तहसीलदार को पक्षकार नही बनाया हुआ है और न ही वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरों का उल्लेख है। इसके अलावा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत प्रथम अपील के साथ मियाद अधिनियम के तहत धारा 05 के प्रार्थना पत्र में न्यायोचित कारणां का भी उल्लेख नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वकालतनामें में रेस्पो0 अधिवक्ता के हस्ताक्षर तक नही है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब के रेस्पो0सं0 1/1 से 1/4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में मूलतः ग्रा0पं0 द्वारा स्वीकृत एवं वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 256 दिनांक 30.08.1974 को

15/10.

चुनौति दी गई थी, जो विधिअनुकूल नही होने से इसके पश्चातवर्ती मंगलाराम के फौतदगी नामान्तरण सं0 594 दिनांक 16.09.1998 जो इस भूमि बाबत होने से उसे भी निरस्त करने का आग्रह किया गया, जो विधि अनुकूल है। वस्तुतः ग्राम डांगियावास का विवादित ना0क0सं0 256 दिनांक 30.08.1974 सह–खातेदार लिखमाराम का देहान्त हो जाने पर उनके 2 पुत्रों–मंगलाराम व नत्थाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत डांगिया द्वारा पारित किया गया। इसके पश्चात मंगलाराम पुत्र लिखमाराम के देहान्त हो जाने पर उसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 16.09.1998 मुन्नी बेवा मंगलाराम एवं सुमन पुत्री मंगलाराम नाबालिग जरिये वलिया माता मुन्नी के नाम नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया। लिखमाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 256 पारित करते समय उनकी 2 जायंदा पुत्रीयां–चुकी एवं सायरी का नाम दर्ज नही होने से उन्हें उनके हक–हिस्से से वंचित कर दिया गया। इस कारण वह अपने हक–हिस्से से पश्चातवर्ती ना0क0सं0 594 में भी वंचित हो गई, जबकि वह लिखमाराम की भूमि में बराबर 1/4 हिस्से की हकदार है। रेस्पो0–अपीलांट–नत्थाराम की बहनों द्वारा हाल ही में दिनांक 15.07.2014 को एक पंजीबद्ध हकतर्कनामा निष्पादित करते हुए, अपने हक–हिस्से की पैतृक भूमि उसके पक्ष में तर्क कर दी है। अतः अपील स्वीकार कर पूर्ववर्ती दोनों नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए, हकतर्कनामें के आधार पर रेस्पो0–अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में उसके हक–हिस्से अनुसार भूमि दर्ज करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 द्वारा स्वीकार कर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 256 को अपास्त करते हुए, पश्चातवर्ती ना0क0सं0 594 को स्व0 लिखमाराम की पुत्रियां–सायरी एवं चुकी के हक–हिस्से तक अपास्त कर, प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को स्व0 लिखमाराम की संपूर्ण भूमि में अपीलांट एवं रेस्पो0 के साथ उनकी पुत्रियां–सायरी तथा चुकी द्वारा किए गये पंजीबद्ध हकतर्कनामें अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार जहां अपील गुणावगुण पर सारवान पायी जाती है, वहां विलंब को गौण मानने के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद अधिनियम की

15/10.

धारा 05 के प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र को स्वीकार करते हुए विलंब को क्षमा किया गया है। विवादित ना0क0 मृतक खातेदार लिखमाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम पारित किया जाना चाहिए था, सायरी व चुकी स्व0 लिखमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिसे अपीलांट–रेस्पो0 द्वारा अस्वीकार नही किया गया है। हस्तगत अपील मात्र तकनिकी आधार पर प्रस्तुत की गई है, जो विधिक रूप से स्वीकार योग्य नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि वादग्रस्त ना0क0सं0 256 दिनांक 30.08.1974 मृतक खातेदार लिखमाराम के सभी विधिक वारिसान उनके पुत्र एवं पुत्रियों के नाम पारित किया जाना चाहिए था। स्व0 लिखमाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान, उनकी 2 पुत्रियां –सायरी व चुकी को अपीलांट–रेस्पो0 द्वारा अस्वीकार नही किया गया है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रतीत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) द्वारा प्रकरण संख्या 36/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15/10/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर